


कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),  
जनपद न्यायालय, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस में जगह-जगह रखे कबाड़ एवं अन्य उपकरणों (पुरान खराब जनरेटर, अप्रयोज्य फोटोस्टेट मशीन, खराब सीलिंग फैन एवं टायर आदि) की नीलामी हेतु दिनांक 23.11.2024 दिन शनिवार, सायं 04:00 बजे नियत है।


इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु दोपहर 01.00 बजे केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित होकर जमानत धनराशि, प्रार्थना पत्र, जी.एस.टी. पंजीकृत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट <http://www.allahabadhighcourt.in>, एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट <https://hathras.nic.in>, जनपद न्यायालय, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/hathras> एवं केन्द्रीय नजारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक: 08.11.2024

  
(महेन्द्र श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष, नीलामी समिति/  
अपर जनपद न्यायाधीश,  
कोर्ट सं०-01, हाथरस।

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

  
जनपद न्यायाधीश,  
हाथरस।


11/11/2024

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),  
जनपद न्यायालय, हाथरस।**

**नीलामी की आवश्यक शर्तें**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस में जगह-जगह रखे कबाड़ एवं अन्य उपकरणों (पुरान खराब जनरेटर, अप्रयोज्य फोटोस्टेट मशीन, खराब सीलिंग फैन एवं टायर आदि) की नीलामी दिनांक **23.11.2024** दिन शनिवार समय सांय 4:00 बजे नियत की गयी है, जो कि उक्त दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, जनपद न्यायालय, हाथरस में सम्पन्न की जायेगी। इस नीलामी की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं:--

01. कबाड़ एवं अन्य उपकरणों (पुरान खराब जनरेटर, अप्रयोज्य फोटोस्टेट मशीन, खराब सीलिंग फैन एवं टायर आदि) की नीलामी हेतु बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रु० 10,000/- (दस हजार) की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि व्यक्ति/प्रतिष्ठान के नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
02. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक को व्यक्ति अपना निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साईज फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी गिलान हेतु दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
03. नीलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी माननीय जनपद न्यायाधीश, हाथरस को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कोई कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।
04. किसी भी दशा में नीलामी राशि, निर्धारित जमानत धनराशि से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
05. नीलामी प्राप्तकर्ता को कबाड़ एवं अन्य उपकरणों (पुरान खराब जनरेटर, अप्रयोज्य फोटोस्टेट मशीन, खराब सीलिंग फैन एवं टायर आदि) की नीलामी सम्पन्न होने के पश्चात अगले कार्य दिवस की तिथि से अधिकतम 03 दिन का समय प्रदान किया जायेगा।
06. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।

  
(महेन्द्र श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष, नीलामी समिति/  
अपर जनपद न्यायाधीश,  
कोर्ट सं०-01, हाथरस।